



Neutral Citation No-2026:AHC:3903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4719 वर्ष 2025

वीरेंद्र प्रताप याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 16 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शोभनाथ सिंह यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ: -

“i- यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48(1) के तहत संशोधन संख्या-229 वर्ष 2025 (राम अवध बनाम उदय नारायण) का निर्णय लेने के लिए चकबंदी के उप निदेशक, गाजीपुर जिला गाजीपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, साथ ही यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 48(1) के तहत केस संख्या-228/2025 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-202554142900000228) (उदय नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के रूप में पंजीकृत संबंधित बहाली आवेदन के साथ, निर्धारित समय अवधि के भीतर, जो 19.01.2022 से लंबित हैं।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनरीक्षण याचिका 19.01.2022 से लंबित है, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।



4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपर्युक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः निर्णय लेना।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 7, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)